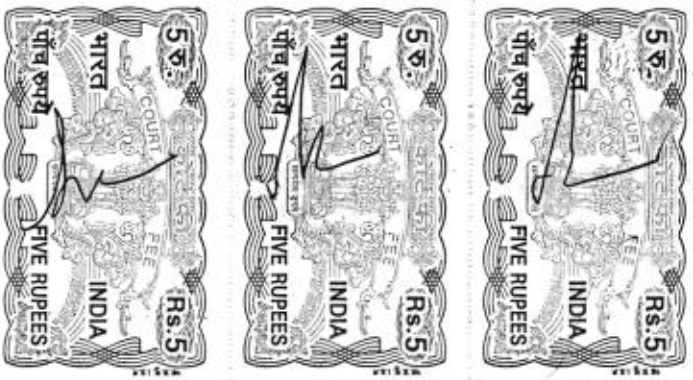

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश, ग्वालियर

प्र0क्र0 /2010 पुनरीक्षण

निग0 604/III/10

1- मूला } पुत्रगण हीरा कुशवाह
2- हलुका } निवासीगण कैलारस तहसील
कैलारस जिला मुरेना --- आवेदकगण

विरुद्ध

1- महिला क्रान्ती पुत्री सन्नू पत्नी राजाराम कुशवाह निवासी कैलारस तहसील कैलारस जिला मुरेना ------ मूल अनावेदक

2- अजुद्दी पुत्री हीरा पत्नी अंगद कुशवाह निवासी विजयपुर तहसील विजयपुर जिला श्योपुर

3- कम्मोदा पुत्री हीरा पत्नी मदनू कुशवाह निवासी ग्राम दुल्हावाला, इकलौद रोड तहसील विजयपुर जिला श्योपुर

4- रामसनेही पुत्री नारायणलाल

5- मुनेश पुत्र रामहेत

6- श्यामसुन्दर पुत्र नारायणलाल

7- राजेश्वरी देवी पत्नी बनवारीलाल

8- सीतादेवी पत्नी ओमप्रकाश

9- सुनील पुत्र रामप्रसाद

10- कमलकिशोर पुत्र रतनलाल

11- लक्ष्मीदेवी पत्नी रामस्वरूप

12- सोनीदेवी पुत्री हजारीलाल

13- शिवजीराम पुत्र भीकाराम

समस्त निवासीगण कैलारस तहसील

श्री मुकेश बैलापुरकर द्वारा आज दि० 3-5-10 को प्रस्तुत।

अवर सचिव
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

Shelapurkar 3/5/10

मूला आदि विरूद्ध महिला कांति आदि

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक निग0 604–तीन/10 जिला – मुरैना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
२५.५.१५	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के प्रकरण कमांक 224/2008–09/अपील में पारित आदेश दिनांक 18–3–10 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । 2/ प्रकरण के तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में विस्तार से उल्लिखित होने से उन्हें पुनः दोहराने की आवश्यकता नहीं है । 3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि इस प्रकरण में अपर कलेक्टर ने जिन निर्देशों के साथ प्रकरण एस.डी.ओ. को प्रत्यावर्तित किया था उन बिंदुओं पर कोई विचार नहीं किया गया है । आवेदक का नामांतरण सक्षम न्यायालय के आदेश से किया गया था और उसके आधार पर की गई प्रविष्टि को संहिता की धारा 115, 116 के तहत निरस्त नहीं किया जा सकता । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा संहिता की धारा 115, 116 के तहत कार्यवाही करने के निर्देश विचारण न्यायालय को देने में न्यायिक एवं विधिक त्रुटि की है । संहिता की धारा 115 एवं 116 के प्रावधानों की सही व्याख्या अधीनस्थ न्यायालयों ने नहीं की है इन प्रावधानों के तहत प्रविष्टि की त्रुटियों को ही नियत समयावधि में सुधारा जा सकता है । वर्ष 1983 में हई प्रविंष्टि को सुधारने का आवेदन 15 वर्ष बाद प्रचलन योग्य नहीं था । यह तर्क दिया गया कि मूल प्रकरण की अनुपलब्धता को आधार बनाकर आवेदकों के नाम की वैध प्रविष्टि को विलुप्त करना अवैध है । आवेदकगण का नामांतरण नियमानुसार कार्यवाही के उपरांत किया गया था जिसे तत्कालीन भूमिस्वामी द्वारा अपने जीवनकाल में कोई चुनौती नहीं दी गई । तत्कालीन	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	भूमिस्वामी तहसील के 1983 के आदेश के पश्चात 9 साल तक जीवित रहा । उक्त आधार पर उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त करते हुए निगरानी स्वीकार किए जाने का अनुरोध किया गया है । 4/ अनावेदक कं. 1 के अधिवक्ता द्वारा अभिलेख के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का अनुरोध किया गया है । 5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । इस प्रकरण में आवेदकों का नामांतरण वर्ष 1983 में किए जाने का उल्लेख है । इस आदेश को तत्कालीन भूमिस्वामी सन्नू द्वारा अपने जीवनकाल में कोई चुनोती नहीं दी गई । सन्नू की मृत्यु के उपरांत अनावेदिका द्वारा वर्ष 97–98 में वर्ष 1983 के आदेश को एस.डी.ओ. न्यायालय में चुनौती दी गई । एस.डी.ओ. द्वारा यह मानकर कि जिस प्रकरण के आधार पर आवेदकों का नामांतरण हुआ वह प्रकरण दायरा पंजी में नहीं है और उन्होंने आवेदक के नाम की प्रविष्टि को बोगस मानते हुए प्रकरण तहसील न्यायालय को संहिता की धारा 115 के तहत कायम करने तथा धारा 118 के तहत कार्यवाही करने के निर्देश दिए । एस.डी.ओ. के आदेश की पुष्टि अपर आयुक्त ने की है । इस प्रकरण में जो स्थिति आई है इस पर से 2 वैधानिक बिंदु उत्पन्न हुए हैं प्रथम यह है कि कि क्या संहिता की धारा 115, 116 के तहत वर्ष 1983 में हुई प्रविष्टि को सुधारा जा सकता है अर्थात 15 वर्ष उपरांत क्या प्रकरण में कार्यवाही की जा सकती है । दूसरा प्रश्न यह है कि नामांतरण प्रकरण में आदेश होने के उपरांत क्या अपील में संहिता की धारा 115, 116 का सहारा लिया जा सकता है । वैधानिक स्थिति को देखते हुए ऐसा करना संभव नहीं है क्योंकि संहिता की धारा 11 के तहत एक वर्ष में ही कार्यवाही की जा सकती है और धारा 115 स्वमेव कार्यवाही के संबंध में है । प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी के आदेश पर कार्यवाही संभव नहीं है क्योंकि कोई भी वरिष्ठ अधिकारी स्वमेव कार्यवाही	

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक निग0 604–तीन/10

जिला – मुरैना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	करने के लिए निर्देश नहीं दे सकता यह वैधानिक स्थिति है । ऐसी स्थिति में अपीलीय न्यायालयों के आदेशों को स्थिर रखना संभव नहीं है चूंकि प्रकरण में एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी आया है कि जिस आदेश के द्वारा नामांतरण हुआ है वह प्रकरण वास्तव में पंजीबद्ध हुआ है या नहीं इस संबंध में विस्तृत जांच आवश्यक है । अतः अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अपास्त करते हुए प्रकरण तहसील न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वे इस संबंध में विस्तृत जांच करके उस पर से अपना निष्कर्ष निकालें और तदनुसार दोनों पक्षों को अपना पक्ष रखने का अवसर देते हुए प्रकरण का निराकरण करें । यदि स्वत्व का प्रश्न निहित होता है तो पक्षकारों को व्यवहार न्यायालय का आदेश देते हुए व्यवहार न्यायालय का जो भी निर्णय हो उसके अनुसार प्रकरण का निराकरण करें । उभयपक्ष सूचित हों एवं अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस हो सदस्य	